

पक्षकारान उपस्थित। श्रीमान् P.O.  
शाख शासक कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली  
बारे जवाब प्राप्त दिनांक 12.06.2024 को  
पेश होवे।

श्रीमान्

12.06.2024

12.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान  
उपस्थित। वकील वादी पत्रावली में  
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते एवं  
न्यायालय द्वारा अब तक की गई  
कार्यवाही से संतुष्ट हैं; वकील वादी  
द्वारा पत्रावली नोट-प्रेस करने का  
निवेदन किया। वकील वादी द्वारा  
नोट प्रेस किये जाने के आधार पर  
बाद खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फॉर्मल शुमार होकर वापस लौटने

12.06.2024